नेशनल कौंसिल बैठक की विवरणी

नेशनल कौंसिल बैठक 16 अक्टूबर को श्रीमती सुजाता तपन रे, निदेश (कार्मिक) की अध्यक्षता में नेशनल कौंसिल सम्पन्न हुई। प्रारंभ में सीनियर जीएम (एसआर) ने सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जिससे कि सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हो।

चैयरमैन नेशनल कौंसिल, निदेशक (कार्मिक) फोरम के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि कर्मचारी पक्ष के आशा के अनुरूप हम सभी प्रयासरत हैं। कर्मचारी पक्ष प्राथमिकता के मुद्दों को बताएं जिन पर शीघ्रता से ध्यान देना है। *वर्तमान में बीएसएनएल की वित्तीय दशा ठीक नहीं है। परंतु कर्मचारियों को अप्रसन्न नहीं किया जा सकता है।* समितियों को निश्चित अवधि के आधार पर कार्य करना होगा तथा इसकी मॉनिटरिंग स्वयं करेंगी। अंत में उन्होंने सहयोग की अपील की तथा आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

साथी इस्लाम अहमद, नेता कर्मचारी पक्ष ने दोनों पक्षों का स्वागत करते हुए कहा कि सहयोग दोनों पक्षों से होना चाहिए एतरफा नहीं। *कर्मचारी बीएसएनएल की वृद्धि हेतु सहयोग के लिए तत्पर हैं। परंतु सामानों (ड्राप वायर, केबिल्स आदि) का अभाव है। "फ्री नाइट कॉल सुविधा" के फलस्वरूप लैंडलाइंस की मांग अत्यधिक है। परंतु कनेक्शन देना सामानों के अभाव में संभव नहीं हो रहा है। सीपी नहीं उपलब्ध होने के कारण वाई–मैक्स सेवा का विस्तार–विकास ठप्प है।* **कर्मचारियों को पीएलआई (बोनस) का भुगतान आवश्यक है अन्यथा कम्पनी में अशांति हो सकती है। मकान भत्ते का भुगतान 78.2% आईडीए वेतन निर्धारण के अनुसार किया जाय। कर्मचारियों को आर्थिक लाभ से वंचित करना अनुचित है। ऐसी कार्यवाही से कर्मचारियों में निराश होगी।** ईआरपी की समस्याओं का समाधान किया जाय। पूर्व की नेशनल कौंसिल की बैठक के निर्णयानुसार वर्तमान मेडिकल पॉलिसी के पुनर्वालोकन हेतु समिति का गठन किया जाए। कौंसिल के निर्णय का सम्मान आवश्य है। कर्मचारियों की सेवा शर्तें में परिवर्तन संघ से बिना विचार–विमर्श के नहीं किया जाएं। हिन्दी अधिकारियों तथा अनुवादकों की पुनगर्ठन प्रक्रिया में भेदभाव नहीं होना चाहिए। टीटीएज को एक इंक्रीमेंट दिया गया परंतु इस प्रकार के अन्य कर्मचारियों, नियमित मजदूर सीनियर टीओएज आदि को वंचित किया गया है। ऐसा भेदभाव उचित नहीं है। सीधे भर्ती कर्मचारियों के **पेंशन नियम बनाने में अत्यधिक विलम्ब हो चुका है।** इसको शीघ्रता से किया जाय। जेएओ भर्ती नियम को भी कार्मिक योजना से पृथक करके बोर्ड को अनुमोदन हेतु भेजा जाय। मान्यता प्राप्त संघ को कार्यालय हेतु उचित एकोमोडेशन दिया जाय। अनुकम्पा नियुक्ति के अस्वीकार ऐसे मामलों का पुनर्वालोकन सुनिश्चित हो जो कि संवेदनपूर्ण है। ऑफिसिएटिंग जेटीओज को जेटीओज की प्रारंभिक बेसिक प्रशिक्षण से छूट दी जाय। साथी इस्लाम ने चैयरमैन को टीएमस, टीटीएज को स्थानीय प्रशिक्षण के आदेश की सराहना की। परंतु आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्हें सर्किल ट्रेनिंग सेंटर में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। जिससे वे आधुनिक तकनीक में कार्य करने हेतु सक्षम हों यद्यपि कि अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। टावर कम्पनी बनाने हेतु संघों से परामर्श नहीं किया गया तथा अब सहयोग मांगा जा रहा है। यह उचित नहीं है। उन्होंने जीपीएफ/अग्रिम भुगतान की कठिनाईयों से भी चैयरमैन का ध्यान आकर्षित किया।

साथी अभिमन्यू, सचिव कर्मचारी पक्ष नेता कर्मचारी पक्ष, साथी इस्लाम अहमद के मुद्दों का समर्थन करते हुए एक माह के वेतन का तदर्थ पीएलआई भुगतान की मांग की गई। उन्होनें ड्राफटमैन के जिए जेटीओ परीक्षा की भी मांग की।

एजेंडा आयटम

अनुकम्पा नियुक्ति: संघों से परामर्श के उपरांत वैटेज प्वाइंट को अंतिम रूप दिया जाय। डियूटी में दुर्घटना तथा बिजली से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाय। आश्रितों के मामलों को अस्वीकार नहीं किए जाय।

टीटीएज की भंति अन्यों को एक इंक्रीमेंट: टीटीएज की भांति उसी स्तर के अन्य कर्मचारियों सीनियर टीओएज, आरएम

को एक इंक्रीमेंट दिया जाय। सम्बंधित समिति को विचारार्थ भेज दिया गया।

आउटसोर्सिंग नहीं: प्रबंधन का कहना था कि आउट सोर्सिंग रेवेन्यू में वृद्धि एवम् सेवा सुधार हेतु है। स्टॉफ साइड की ने मांग किया कि संघों के सुझावों पर विचार हो।

78.2% आईडीए मरजर के एरियर का भुगतान : कम्पनी वित्तीय दशा ठीक नहीं है।

नियमों के अनुसार दैनिक मजदूरों को ग्रेच्युटी का भुगतान: मामला बोर्ड में प्रस्तुत है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फ्री कॉल्स सुविधा: सिद्धांत स्वीकार है।

टीटीएज को सर्किल कैडर बनाना: दो सप्ताह के भीतर संघों को प्रबंधन की कठिनाईयों से अवगत कराना है।

एसएसएज का एकीकरण: एकीकरण से सरप्लस कर्मचारी उसी एसएसएज में सेल्स में उपयोग किए जाएंगे।

दो सौ रूपए के सिम में शिथिलता: एमडीएफ के लैंडलाइन टेलीफोन्स पर परीक्षा हेतु कॉलों को फ्री किया जाय। मामला विचाराधीन है।

विभागीय परीक्षा हेतु कैलेंडर: उपलब्ध कर दिया गया।

वर्दी आदि के रेट्स में संशोधन: कमेटी का गठन होगा।

हेडक्वार्टर में भत्ते भुगतान में भेदभाव: सीएसएस स्टॉफ को नहीं दिया जा रहा है। केवल बाहर से नियुक्त अधिकारियों को दिया जाता है।

गलत ढंग से भुगतान की वसूली: डीओपी के दिशा–निर्देशनों का पालन होगा।

सेवानिवृत्ति की तिथि पर छुट्टी नगदीकरण का भुगतान नहीं होना: ऐसे उदाहरण कॉर्पोरेट कार्यालय को नहीं भेजे गए हैं।

सीनियर टीओएज (जी), टीटीए, टीम के ट्रांसफर में पाबंदी: पाबंदी नहीं है।

भत्तों का संशोधन: वर्तमान में संभव नहीं है। ओटीए पर विचार किया जाएगा।

एनईपीपी की कठिनाईयों हेतु समिति: समिति की बैठक 19.10.2015 को होगी। रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत होगा।

डिजिनेशन में परिवर्तन: एग्रीमेंट को पुनः प्रबंधन समिति को भेजा जाएगा। अन्य पदों के डिजिगनेशन में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव संघों द्वारा प्रशासन को विचारार्थ हेतु भेजा जाय।